

* Irrigation & Construction Division
Purora (Uttarkashi)

3
निर्देश

7. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय, जितना कि स्वीकृत मार्ग है, स्वीकृत मार्ग से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
8. एक युस्त प्राविधान पर कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगमन गतिवत् नियमानुसार सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त की जागी आवश्यक होगी।
9. कार्य करने से पूर्व तकनीकी दृष्टिकोण से समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर सिंचाई विभाग की प्रचलित दस्त/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य सुनिश्चित किया जायेगा।
10. कार्य करने से पूर्व स्थल का गूली गति निरीक्षण सञ्चाधिकारियों से अवगत कर लिया जाये, निरीक्षण के पश्चात् स्थलीय आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण दिवेषों के अनुरूप कार्य किया जाय।
11. निर्माण सामग्री प्रयोग में लेने से पूर्व किसी प्रयोगशाला में टेस्टिंग कराकर उपयुक्त प्रतीति प्राप्त होने पर ही सामग्री का प्रयोग में लाया जाय।
12. यह सुनिश्चित किया जाय कि योजना का लागू अनुसूचित जाति एवं जाति अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को प्राप्त हो।
13. योजनाओं पर व्यय मुख्य अभियंता एवं विभागाध्यक्ष के निवर्तन पर स्वीकृत हो, अतः निर्देश किया जायेगा।
14. यह निर्देश वित्त विभाग के आशासकीय संख्या नं. 59/XXVII(2)/2007 दिनांक 29.11.07 से प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

00.00

EX.000

EX.000

00.00

00.00

00.00

00.00

00.00

00.00

00.00

00.00

00.00

00.00

00.00

00.00

00.00

00.00

00.00

संख्या 1175/11-2007-03(11)/05 तददिनांक 11.11.07

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, गा.0 सिंचाई मंत्री को गा.0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ
2. गहलेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
4. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तरकाशी/चमोली/देहरादून/रूद्रप्रसाग/दिल्ली
5. सामाजिक कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. अधिशासी निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
8. बजट राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

संलग्न यथोक्त

P/c attested.

Assistant Engineer-III
Irrigation Construction Division
Purula (Uttarakashi)

(सहायक अभियंता)
अनु सचिव।

शहरा-नदर सारणी 1128/11 2007-03(11)/05, दि 30

क्र. सं.	योजना का नाम	अनुसूचित जाति उपयोग (नहर निर्माण)	अनुसूचित जाति उपयोग (बाढ़ सुरक्षा योजना)
	जनपद उत्तरकाशी के गोरी विठखो के अन्तर्गत कुमास पास नहर नवनिर्माण योजना	109.00	104.00
	योग नहर निर्माण	109.00	104.00
2	(बाढ़ सुरक्षा योजना) जनपद चमोली के नारायण बगड़ विठखो के अन्तर्गत प्रायः सुखी बस्ती कमेड़ाखाली की आपातकालीन बाढ़ सुरक्षा योजना	9.62	8.11
34	जनपद कुशीमोर में आवादी नाले से प्रायः किशनपुर बाढ़ सुरक्षा योजना	43.55	41.60
	जनपद देहरादून में आवासीय राव की बाढ़ सुरक्षा योजना	148.92	140.60
	जनपद देहरादून में सुन्दरलाला प्रायः राव की बाढ़ सुरक्षा योजना	50.11	48.10
	जनपद रुद्रप्रयाग में अमरस्यगुनी विठखो के अन्तर्गत सौमाना प्रायः की सिद्धा व भुल्ल मदेरे से कटाव सुरक्षा योजना	42.38	39.20
	जनपद रुद्रप्रयाग में ऊखीमठ विठखो के अन्तर्गत डुंगर शिमला हरिजन बस्ती की डुंगर मदेरे से कटाव सुरक्षा योजना	24.50	23.10
8	जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत रगरसा (बूढ़ा केदार) बाढ़ सुरक्षा योजना	60.60	58.15
	योग बाढ़	379.73	362.10
	योग अनुसूचित जाति उपयोग	486.73	474.15
1	(अनुसूचित जाति उपयोग) (बाढ़ सुरक्षा योजना) जनपद चमोली में कर्णप्रयाग विठखो के अन्तर्गत विस्थापित लोगों की बाढ़ सुरक्षा योजना का योग	30.39	27.35
	योग बाढ़ सुरक्षा योजना	30.39	27.35
	योग अनुसूचित जाति उपयोग	519.12	501.45

(रुपये चार करोड़ पचास लाख पचास हजार मात्र)

(एसोसिएट इंजीनियर)
अनुसूचित

7/10/25
attested

Assistant Engineer-III
Irrigation Construction Division
Purola (Uttarkashi)